

18/8/25

पत्रावली पैरा 10. वकील माधी- इवेलियन वकील-
माधी ने- मातृपत्र पर आगे कोई कामवाली-
नहीं चाहे वह निवेदन पर नोट प्रेष विभाग
अतः वकील माधी के निवेदन अनुसार माधी-
पर नोट प्रेष में श्वारिय किया जाता है।
पत्रावली केवल सुमा लेकर मंतर ले काम लो

Not press

Amman
१९